HOME (POLICE) DEPARTMENT

The 30th December, 1980

No. 15068/SA-2. Cash Leave.—In accordance with the instructions contained in Haryana Government, Finance Department Letter No. 11/5/78-FR-II, dated 13th August, 1978 and No. 11/5/78-FR-II, dated 21st August, 1978, read with the advice received from the Home Department, Haryana,—*vide* their letter No. 17/1/79-HGI, dated 25th April, 1979, the Governor of Haryana is pleased to grant cash payment equivalent to leave salary of 180 days (due at the time of retirement) un-utilised earned leave to Shri Surjit Singh, D.S.P. C.I.D., Haryana, who has retired on superannuation on the after-noon of 31st August, 1980, on the following conditions :—

1. The cash equivalent of leave salary thus admmissible will be paid in the lump sum as one time settlement.
2. The cash payment will be equal to leave salary as admissible for earned leave and dearness allowance admissible on that leave salary at the rates in force on the date of retirement and no compensatory allowance, house rent allowance and Kit maintenance allowance shall be payable.

It is certified that Shri Surjit Singh, D.S.P. C.I.D., Haryana did not avail of any portion of L.P.R. of 180 days before the date of retirement.

MANMOHAN SINGH, Joint Secy.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक, 5 दिसम्बर, 1980

क्रमांक **2040-ज (II)-80/42783**.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमे आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सीमा देवी, विधवा श्री शेर सिंह, गांव खोड, तहसील व जिला गुड़गांवा को खरीफ़, 1975 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **2039-ज (II)-80/42787**.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सुधा, विधवा श्री मोहन लाल, मकान नं० 498/11, जैकमपुरा, गुड़गांवा, तहसील व जिला गुड़गांवा, को खरीफ़, 1967 से 100 रुपये वार्षिक, खरीफ, 1970 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 10 दिसम्बर, 1980

क्रमांक **2151-जI-80/44295**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती, लछमी देबी, विधवा श्री राम दत्त, गांव बणा गांव, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को रबी, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1714-ज-(I)-80/44299**.—श्रीमती भाग कौर, विधवा श्री अर्जून सिंह, गांव सलेमपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को युद्ध जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 3333-ज-एन०-III-66/6905, दिनांक 22 अप्रैल, 1966 तथा 5041-र-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा खरीफ़ 1970 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मन्जूर की गई थी, मन्सूक़ की जाती है।

क्रमांक **215 2-जI-80/44303**.--श्री शिव राम, पुत्र श्री हीरा नन्द, गांव 75/1190 वलदेव नगर अम्बाला तहसील व जिला अम्बाला की दिनांक 10 फरवरी, 1977 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शिव राम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 11254-ज-III-65/10442, दिनांक 10 दिसम्बर, 1965, तथा 504 1-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सरस्वती के नाम खरीफ, 1977 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते ह ।

रघुनाथ जोशी,
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।